डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-576 **New Delhi: 16.07.2021**

श्री रमाकान्त
पुत्र श्री श्यामसुन्दर
निवासी - ग्राम परजनी
परगना - डेरापुर
जिला - कानपुर देहात
(उत्तर प्रदेश)
मोबाइल -7398443079

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक Nil, जो इस कार्यालय में दिनांक 12.07.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 04 पृष्ठ

16/07/2021

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
इ-मेल-skroy@dfcc.co.in
दूरभाष - 011-23454707

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-7(13)

दिनांक:– 15.07.2021

सेवा में,

महाप्रबन्धक / समन्वय,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम –2005, के अर्न्तगत श्री रमाकान्त शुक्ला के द्वारा मांगी गई सूचना दिनांक 12.07.2021 सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–उप महाप्रबन्धक / एण्डमीन (पीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-576 Dated 13.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री रमाकान्त शुक्ला के द्वारा , जो जनसूचना अधिकारी / प्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 नई दिल्ली को सम्बोधित हैं, उप महाप्रबन्धक / एण्डमीन (पी0आई0ओ) नई दिल्ली के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-576 Dated 13.07.2021 के साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / एव0आर0 / टुण्डला की ई–मेल के माध्यम से दिनांक 13.07.2021 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रस्तरवार जानकारी निम्नलिखित है–

प्रस्तर–1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाटा सं0 292 (नाली) रकबा 0.3970हे0, गाटा सं0 294स (नाली) रकबा 0.0310हे0, गाटा सं0 519 (नाली) रकबा 0.0050हे0, गाटा सं0 277स (नाली) रकबा 0.0200हे0, व गाटा सं0 279ख (नाली) रकबा 0.0310हे0, का रेलवे संशोधित अधिनियम धारा–20 ए गजट सं0 का.आ. –220(अ) दिनांक 22 जनवरी 2013 को जारी किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं (संलग्नक–1) उक्त गाटाओं की पुर्नग्रहण सम्बन्धित प्रकिया हेतु कार्यवाही राजस्व विभाग कानपुर देहात /डीएलआरसी0 के स्तर पर प्रचलित हैं। उनके द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार, धनराशि जमा किये जाने की उचित कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। पुर्नग्रहण सम्बन्धित गाटाओं की 20ई व 20एफ की गजट / अभिनिर्णय सम्बन्धित प्रकिया नहीं की जाती है।

प्रस्तर–2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाटा सं0 558 (नाली) रकबा 0.0680हे0, का पुर्नग्रहण कर मूल्यांकित धनराशि राजकीय मद् में जमा की चुकी हैं। उक्त सम्बन्ध में, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 द्वारा कोई भी कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील / प्रशासन से सम्पर्क करें।

प्रस्तर–3 के सम्बन्ध में पूर्व में जानकारी दी जा चुकी है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)
उप परियोजना प्रबन्धक (ईजी0)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 / कानपुर।
15/07/2021

Office Of Dy. Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208005
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803032 E mail – dcchampia@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2013/माघ 2, 1934
No. 204] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2013/MAGHA 2, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2013

का.आ. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् बिमल दूबे, अपर महा प्रबंधक (भूमि अर्जन) पांचवा तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित
जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।
जिले का नाम : कानपुर देहात

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डेरापुर	(1) परजनी	293 ख	0.0370
			293ग	0.2300
			293 ग	0.0370
			296	0.0100
			297 ख	0.4170
			298	0.3160
			302	0.1110
			303	0.0780
			304	0.0590
			305	0.0960
			306 ख	0.0512
			289	0.0200
			524ड़	0.0790
			533 / 1009	0.0610
			277क	0.0290
			277ख	0.0200
			276	0.0100
			281	0.0100
			283	0.0020
			284	0.0070
			285	0.0060
			286	0.0140
			292	0.3970
			290	0.0210
			287	0.0800
			294 ख	0.0310
			288	0.0080
			280	0.0050

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			279क	0.0370
			279ख	0.0310
			291	0.0570
			520	0.0610
			522 / 1006	0.0470
			522	1.1864
			521	0.0150
			519	0.0050
		(2) बानखास	1719	0.8944
			1720	0.0310
			1716	0.1720
			1722	0.1020
			1723	0.0720
			1724	0.0580
			1725	0.0300
			1715	0.0410
			1714	0.0560
			1556क	0.0170
			1556ख	0.0160
			1713	0.4100
			1557	0.0260
			1558	0.0380
			1561ख	0.0520
			1562	0.1250
			1563	0.0510
			1563ख	0.0510
			1564	0.0610
			1565	0.3200
			1566क	0.1220
			1566 ख	0.0640
			1567क	0.0100
			1567ख	0.0100
			1610ख	0.0620
			1610ख	0.1300